

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ()/2017/FCA/PCCF/CCF EDS-I Dated 6.3.2018

जिला झालावाड /वनमण्डल झालावाड में **Construction of road from Taraj to Tara Devi village** के निर्माण हेतु 0.87 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में अधिशासी अभियंता PWD खण्ड खानपुर झालावाड के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/30449/2017 को रजिस्टर किया गया था। प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II एवं पार्ट III की पूर्ती करा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III का परीक्षण किये जाने पर निम्न सूचना मुख्य वन संरक्षक कोटा से मंगाया जाना प्रस्तावित है।

1. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट में प्रस्तावित क्षेत्र 0.873 है० अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव 0.87 है० एवं वनाधिकार प्रमाण पत्र 0.87 है० का ही है। उक्त में एकरूपता लिया जाकर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत, जिनमें एक मूल प्रति, दी जानी प्रस्तावित है। जो अभी तक अप्राप्त है वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित सडक की चौडाई 9 मीटर ली गई है उक्त चौडाई का क्रास सेक्शन (विभिन्न स्थानों के) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 10 में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को न्यूनतम एवं अपरिहार्य नहीं बताया गया है जबकि हार्ड प्रति में न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त के बारे में सही स्थिति की टिप्पणी उप वन संरक्षक झालावाड से ली जानी प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं संधारण की योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित स्थल के KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाने के बारे में नहीं लिखा गया है। जो प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित है।
8. प्रस्ताव में हार्ड प्रति में इंडेक्सिंग नहीं की गई है। जो किया जाना प्रस्तावित है।
9. मक डिस्पोजल योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रस्ताव के टाइटल में तारा देवी ग्राम उल्लेखित है जबकि प्रस्तावित सडक तारा देवी मंदिर तक बनाई जा रही है इस बिन्दु पर यूजर ऐजेन्सी/उप वन संरक्षक अपनी टिप्पणी संलग्न करे।

प्रस्ताव में उपरोक्त सूचना मंगवाया जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

Yam
6/3/18
(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR